राजेश मीणा, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2020 को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा/बचाव एवं इसके प्रसार को संयमित करने हेतु अधीनस्थ अनुमंडल/प्रखंड/अंचल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विडियोकॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाहीः-

---

<u>उपस्थिति</u> -

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में विडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अचंल अधिकारी एवं अन्य पर्यवेक्षक स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा/बचाव एवं इसके प्रसार को संयमित करने हेतु विभाग द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन कराने हेतु बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

वर्तमान समय में तेजी से फैल रहे कोरोना (COVID-19) वायरस के संक्रमण की रोक-थाम हेतु विभिन्न स्तरों से जन-मानस के बीच बृहत रूप से प्रचार-प्रसार किये जाने तथा इस वायरस के स्थानीय संचरण एवं तेजी से फैलने के खतरे के दृष्टिगत् अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3736 दिनांक 13.03.2020 सहित मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2020 को सम्पन्न विडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदत्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया :-

- सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कोचिंग संस्थान आदि में शैक्षणिक कार्य दिनांक 31.03.2020 तक बंद किया जाय। परन्तु शिक्षक एवं अन्य कर्मी दैनिक रूप से अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2020 हेतु निर्धारित मूल्यांकन केन्द्र का संचालन पूर्व की भांति संचालित होगा।

  (अनुपलान-जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

- जिलान्तर्गत सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था तत्काल स्थगित की जाती है परन्तु मध्याह्न भोजन की राशि की गणना कर उक्त राशि सीधे संबंधित छात्र के खाते में दिनांक 31.03.2020 के पहले जमा करायी जाय।

  (अनुपलान-प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना)

- जिलान्तर्गत सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन दिनांक 31.03.2020 तक बंद किया जाता है। परन्तु ऑगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहकर लाभुक महिलाओं को टेक होम राशन दिये जाने की व्यवस्था जारी रहेगी तथा नामांकित बच्चों के भोजन की राशि की गणना कर उक्त राशि सीधे संबंधित अभिभावक के खाते में दिनांक 31.03.2020 के पहले जमा करा दी जाय एवं उसकी पावती प्राप्त कर ऑगनवाड़ी केन्द्र में संधारित करेंगे।

  (अनुपलान-प्रभारी पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस.)

- भीड़ एकत्रित होने वाले वैसे सभी स्थल, यथा- सिनेमा हॉल, संग्रहालय, पार्क, क्लब आदि स्थलों को तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.03.2020 तक बंद किया जाय। साथ ही, खेल-कूद प्रतियोगिता के साथ-साथ सरकारी/गैर सरकारी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन, जिसमें काफी संख्या में जनमानस एकत्रित होते हैं, वैसे सभी आयोजनों को वर्तमान परिस्थितिवश जहॉ तक संभव हो, स्थगित रखे जायें। इस हेतु आयोजन स्थल यथा-नगर भवन, पोलो मैदान, अन्य सभागार/भवन सहित अनुमंडल/प्रखंड स्तर पर किये जाने वाले आवंटन को स्थगित रखा जाय।

  (अनुपलान-नगर आयुक्त, नगर निगम/अनुमंडल पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, नजारत/ जिला खास महाल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/)

Scanned by CamScanner

- वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत् स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी, पारामेडिकल कर्मी एवं अन्य सभी कर्मचारी का अवकाश तत्काल प्रभाव से रद्द रहेगा एवं वर्तमान में अवकाश में रहने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों को निदेशित किया जाता है कि वे 24 घंटे के अन्दर अपने कर्तव्य स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें।

(अनुपलान–सिविल सर्जन/प्रखंड विकास पदाधिकारी)

- जिला/अनुमंडल/प्रखंड/पंचायत स्तरीय सभी पदाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे क्षेत्र में भ्रमणशील रह कर उक्त वायरस से बचाव की जानकारी जनमानस तक पहुँचायेंगे तथा भ्रमण के दौरान अथवा किसी भी स्त्रोत से वायरस संक्रमण से संदिग्ध व्यक्ति की सूचना प्राप्त होने पर तत्क्षण वरीय पदाधिकारी/सिविल सर्जन, मुंगेर को निश्चित रूपेण उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपलान–अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)

- कतिपय स्रोतों से प्राप्त सूचनानुसार निगम क्षेत्रान्तर्गत बस पड़ाव, यात्री पड़ाव, चौक–चौराहों, बैंक/डाकघर के आस–पास, सब्जी मंडी सहित चौराहों पर अस्थायी ठेला चालकों वाले स्थानों पर जनमानस अधिक संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। विदित हो आमजनों को इस संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के निमित्त जागरूक करने हेतु वृहत् प्रचार–प्रसार कराये जाने का निदेश प्रदत्त है। परन्तु वर्तमान स्थिति के अनुसार आमजनों में इस संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूकता नहीं देखी जा रही है। अपितु सभी पदाधिकारी इस ओर विशेष ध्यान देते हुये जनमानस के बीच जागरूकता हेतु सभी कार्रवाईयाँ सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपलान–अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)

- इस संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति (संदिग्ध/सम्पुष्ट) की सूचना प्राप्त होने पर उक्त क्षेत्र में विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकता है। अतएव ऐसी स्थिति को क्षीण करने के लिए सभी थाना प्रभारी अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर विधि–व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करायेंगे एवं किसी भी स्रोत से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्क्षण विवेकपूर्ण कार्रवाई करते हुये वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे।

(अनुपलान–अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

15/03

(राजेश मीणा)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक–612/गो0, मुंगेर, दिनांक 17-03-20

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस., मुंगेर/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जमालपुर/नगर पंचायत, ह0 खड़गपुर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, मुंगेर/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराने हेतु प्रेषित।

15/03

(राजेश मीणा)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

15/03/20

Scanned by CamScanner